

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(34)/2016/477

दिनांक :- 24-10-16

कार्यालय-आदेश

समय - समय पर इस कार्यालय से जारी पत्र/आदेशों द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिस राज्य में जिन स्टेण्डों पर निगम से जिस दर पर पार्किंग / स्टेण्ड फीस ली जा रही है, उसी के अनुरूप अन्य राज्यों से आने वाली वाहनों से पार्किंग / स्टेण्ड फीस ली जावेगी। निगम के बस स्टेण्डों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया हुआ है।

क्र.स	बस स्टेण्डों की श्रेणी	उपलब्ध यात्री सुविधा
(i)	छोटे कस्बों के बस स्टेण्ड:-	यात्री शैड, टिकिट खिडकी, प्याज, खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा पुरुष एवं महिलाओं के लिये पृथक-पृथक जन सुविधाएँ।
(ii)	शहरों के बस स्टेण्ड :-	प्रतीक्षालय, पर्याप्त कुर्सियाँ, पखें, विद्युत व्यवस्था, पूछताछ एवं टिकट खिडकी, माइक से उद्घोषणा व्यवस्था, आरक्षण सुविधा, पेयजल, खाद्य एवं पेय पदार्थ, पुस्तकें, समाचार पत्र, दूरभाष तथा पोर्टर सुविधाएँ।
(iii)	बड़े शहरों के बस स्टेण्ड:-	वातानुकूलित एवं विशाल प्रतीक्षालय, बरामदें, प्लेटफार्म, पर्याप्त कुर्सियाँ, पखें, विद्युत व्यवस्था, डेजर्ट कूलर, पूछताछ एवं कम्प्यूटर से टिकट जारी, आरक्षण सुविधा, जल भारोत्तोलन यन्त्र, खाद्य एवं पेय पदार्थ, दूरभाष, क्लेक रूम, बैंक, डाकघर, मुलिस चौकी तथा पोर्टर सुविधाएँ।

F 2 2021
25/10

बस स्टेण्डों की उपरोक्त तीन श्रेणियों में (i) पर वर्णित बस स्टेण्ड पर पार्किंग / स्टेण्ड फीस की वसूली नहीं की जाये। श्रेणी ii एवं iii श्रेणी पर स्थित बस स्टेण्डों पर पार्किंग / स्टेण्ड फीस की वसूली की जावे। पार्किंग स्टेण्ड फीस की दर अन्य राज्यों द्वारा निगम वाहनों से वसूली की जा रही दरों के अनुरूप होगी।

उक्त आदेश माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।

(सोहन लाल धानका)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/(34)/2016/477

दिनांक :- 24-10-16

प्रतिलिपि:- निगम को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, रा. प. निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. रामस्त विभागाध्यक्ष, रा. प. निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक, रा. प. निगम, मु. जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबन्धक(निरीक्षण/यातायात) रा. प. निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निगम वेब साईट पर इसको उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) रा. प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(वित्त/याता) रा. परिवहन निगम
8. आदेश पत्रावली।

(कमल पारीक)

24/10

कार्यकारी प्रबन्धक (यातायात)